गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971

1. संदर्भ

- कुछ समय पूर्व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक बलात्कार पीड़िता को 24 सप्ताह पुराने भ्रूण के गर्भपात की अनुमति दी गई। इस निर्णय के साथ ही लगभग 45 वर्ष पुराने अधिनियम को लेकर बहस शुरू हो गई, जहाँ स्त्रियों की स्वायत्तता के अधिकार और शरीर पर स्वयं-निर्णयन के तर्क दिये जा रहे हैं।
- यह मामला सुर्खियों में इसलिये आया क्योंकि गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम [Medical Termination of Pregnancy (MTP)] Act, 1971 के अनुसार 20 सप्ताह की गर्भावस्था के बाद गर्भपात की अनुमति नहीं होती है, यदि माता की जान को विशेष खतरा नहीं हो।

2. कानून क्या कहता है?

- MTP अधिनियम कुछ प्रमुख आधारों पर गर्भपात की अनुमति देता है- यह एक औरत को गर्भावस्था के प्रथम 12 सप्ताह के भीतर गर्भपात की अनुमति देता है बशर्ते एक पंजीकृत चिकित्सक गर्भवती स्त्री के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर इसके गहन खतरे का प्रमाण-पत्र दे।
- यदि गर्भावस्था बलात्कार के कारण हुई हो और गर्भवती स्त्री का भ्रूण 12-20 सप्ताह पुराना हो तब गर्भपात प्रक्रिया के लिये 2 चिकित्सकों की अनुमति आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य पर इसका गंभीर आघात स्वाभाविक समझा जाएगा।
- अगर इस बात का गहन खतरा हो कि जन्म लेने वाला बच्चा शारीरिक या मानसिक असामान्यता का शिकार होगा।
- अनियोजित गर्भावस्था।
- एक ऐसी स्त्री की गर्भावस्था उसके अभिभावक की लिखित सहमति से समाप्त की जा सकती है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और विक्षिप्त हो।

3. स्त्रियों पर प्रभाव

- स्त्रियों की यौनिकता और गर्भपात से जुड़े कलंक के कारण वे असुरक्षित गर्भपात उपाय अपनाती हैं जिससे प्रति 2 घंटे पर एक स्त्री की मृत्यु हो जाती है।
- सुरक्षित गर्भपात उपायों की अनुपलब्धता उच्च रुग्णता और मृत्यु दर की ओर ले जाती है।
- अगर गर्भावस्था किसी यौन हिंसा का परिणाम है और कोई स्त्री इसे नहीं रखना चाहती, तो उसे इसके लिये मजबूर करना न केवल उसकी शारीरिक अखंडता का उल्लंघन है बल्कि यह उसके मानसिक आघात को बढ़ाता भी है जिससे उसे उस हिंसा से उबरने में कठिनाई होती है।

4. गर्भपात क्यों?

- मजबूरी या गैर-सहमति से बने संबंध से उत्पन्न गर्भावस्था।
- अज्ञानवश (चूँकि भारत में कम उम्र विवाह प्रचलित है जहाँ यौन अज्ञानता एक गंभीर चिंता का विषय है)।
- पति की आपत्ति, साइड इफेक्ट्स का भय, निरोध विधियों का गलत प्रयोग, विभिन्न कारणों से निरोध विधियों की अनुपलब्धता और निरोध विधि की असफलता के कारण गर्भनिरोधक विधि के उपयोग की असमर्थता।
- समय पर सूचना और परामर्श का नहीं मिलना।

5. प्रस्तावित MTP (संशोधन) विधेयक, 2014

- विधेयक, 1971 के बाद की प्रगति (चिकित्सा प्रौद्योगिकी में विकास) का हवाला देते हुए 20 सप्ताह से 24 सप्ताह के बीच गर्भपात की अनुमति प्रदान करता है यदि माता या भ्रूण को खतरा हो।
- जीवन के लिये खतरनाक भ्रूण असामान्यता की स्थिति (इसकी जाँच गर्भावस्था के 18 सप्ताह बाद ही की जा सकती है) में गर्भपात पर किसी समय प्रतिबंध को आरोपित नहीं किया गया है।
- इसमें ध्यान रखा गया है कि गर्भावस्था की समाप्ति की अनुमति अवश्य मिले यदि यह बलात्कार का परिणाम हो।
- इस बात को मान्यता दी गई है कि यौन सक्रिय अविवाहित स्त्री एक निर्धारित समयावधि के अंदर गर्भपात की अनुमति मांग सकती है यदि गर्भावस्था अनियोजित है। वर्तमान कानून में यह व्यवस्था सिर्फ विवाहित स्त्रियों के लिये है।

6. आगे की दिशा

- स्त्रियाँ बराबर की नागरिक मानी जाए। उनका अपने शरीर, प्रजनन और मातृत्व पर नियंत्रण का अधिकार उनके सशक्तीकरण के लिये अनिवार्य है।
- न्यायपालिका और नीति-निर्माताओं को एक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाते हुए यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि भारत की महिला नागरिकों को भी संविधान और मानवाधिकारों पर स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप एक समान नागरिकता अधिकार हासिल हैं। इसके अंतर्गत ही महिलाओं को जीवन का अधिकार, गरिमा का अधिकार और वैज्ञानिक प्रगति से लाभ पाने का अधिकार शामिल है। पितृ सत्तात्मक मानसिकता उनके प्रजनन अधिकार पर न थोपी जाए।
- महिलाओं को अपने गर्भ में पल रहे शिशु की जेनेटिक विकृतियों को मानने और फैसला लेने के लिये तीन से चार सप्ताह का और समय मिलना चाहिये क्योंकि 20 सप्ताह भ्रूण की विकृतियों का पता लगाने और कोई निर्णय लेने के लिये बहुत कम समय है।
- महिलाओं के प्रति अपराधों को देखते हुए शिशु को जन्म देने न देने का हक भी महिला को मिलना चाहिये क्योंकि वह किसी और की गलती का बोझ ताउम्र ढोती रहे इसके लिये विवश करना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।